



**प्रेस विज्ञप्ति**

**18/12/2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 17.12.2024 को मेसर्स स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और औरंगाबाद में 9 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के कारण **8 करोड़ रुपये** के बैंक बैलेंस, सावधि जमा और इक्विटी शेयर और प्रतिभूतियां और बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज फ्रीज किए गए।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएंडएफबी, मुंबई द्वारा स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जयदेव विनोद गुप्ता, शीला विनोद गुप्ता और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 27.6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। एसआईएल और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची। सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि एसआईएल के प्रमोटरों ने विभिन्न फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन की लेयरिंग के उद्देश्य से विभिन्न आवास प्रविष्टि प्रदाताओं की सेवाएं लीं। विभिन्न कंपनियों में धन को डायवर्ट करने के लिए संदिग्ध तृतीय-पक्ष लेनदेन किए गए। आवास प्रविष्टियाँ प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतानों के विरुद्ध फर्जी खरीद दर्ज की गई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।